यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड, सिंचाई विभाग, रुड़कीद्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधारपर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय,प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादूनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड, सिंचाई विभाग, रुड़की** के माह 08/2019 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री जोगिंदर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री ललित मोहन सिंह बिष्ट, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रदीप कुमार मौर्या, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक29.10.2020 से 10.11.2020 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नन्दन सिंह, लेखापरीक्षक, श्री राजेश डोभाल,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री आर०एन०यादव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 03.08.2019 से 17.08.2019 तक श्री वी0पी0 सिंह,लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालीन पर्यवेक्षण (दिनांक03.08.2019 से 09.08.2019)में सम्पादित की गयी थी। जिसमे माह 08/2018 से 07/2019तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी थी।

इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रःजनपद हरिद्वार के विकास खंड रुड़की,भगवानपुर एवं नारसन में नलकूपों का नवनिर्माण एवं अनुरक्षणकार्य।

(i) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

(`लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैरस्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2018-19	-	-	805.27	760.60	549.68	549.68	-	-
2019-20	-	-	2.88	775.22	389.03	388.99	-	-
2020-21(माह 08/2020) तक)	-	-	46.47	437.79	162.43	97.43	--	--

01 अप्रैल 2019 से वेतन एवं अन्य भत्तों का भुगतान Global Budgeting के तहत कार्यालय, प्रमुख अभियंता, देहरादून से सीधे हो जाता है। उक्त व्यय खंड के लेखों में प्रदर्शित होता है जबकि इनका भुगतान कार्यालय, प्रमुख अभियंता, देहरादून से हो जाता है, जिस कारण व्यय, आय से अधिक प्रदर्शित हो रहा है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है

(`लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत
शून्य					

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई "स"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव
2. प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून
3. मुख्य अभियंता, स्तर II (यांत्रिक)
4. अधीक्षण अभियंता,नलकूप मण्डल, रुड़की
5. अधिशासी अभियंता,नलकूप खंड, रुड़की

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड, सिंचाई विभाग, रुड़कीको आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदनअधिशासी अभियंता, नलकूप खंड, सिंचाई विभाग, रुड़कीकी लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माहमार्च 2020को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर:1- असफल राजकीय नलकूपों के विद्युत संयोजन के विच्छेदन नहीं किए जाने से खंड पर रु. 2.13 करोड़ की परिहार्य देयता का सृजन।

अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड, रुड़की के अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया था कि खंड के अंतर्गत राजकीय नलकूपों के संचालन की स्थिति (01 अप्रैल 2020) निमन्वत है:-

विकास खंड	**चलित नलकूप की संख्या**	**असफल**	**परित्याग**
रुड़की	94	16	17
नारसन	49	06	09
भगवानपुर	110	31	14
कुल	253	53	40

खंड द्वारा अवगत कराया गया कि 53 नलकूप जो कि असफल की श्रेणी में रखे गए हैं उनके सापेक्ष कोई नवीन नलकूपों का निर्माण नहीं किया गया है।

जांच में पाया गया कि खंड के अंतर्गत स्थित नलकूपों का विद्युत वितरण चार विद्युत वितरण खंड यथा रामनगर, रुड़की ग्रामीण, रुड़की शहरी एवं भगवानपुर से होता है। नलकूपों से संबन्धित विद्युत देयकों की जांच में पाया गया कि 38 असफल एवं 05 परित्याग नलकूपों (कुल 43 नलकूप) के बिल वर्तमान समय तक प्राप्त हो रहे हैं, जिनका विवरण संलग्न है (**संलग्नक I एवं II**)।

असफल नलकूपों के संबन्धित विद्युत बिलों के अवलोकन में पाया गया कि विद्युत संयोजनों का विच्छेदन नहीं किए जाने से खंड पर बिल की प्राप्ति पर लगभग 1.5 लाख units का अतिरिक्त भार पड़ रहा है जिससे की प्राप्त होने वाले बिलों पर औसतन रु. 8.10 लाख (1.5lakh@ रु. 5.40) +fixed charges+Late payment surcharge का अनावश्यक भार पड़ रहा है।

प्राप्त विद्युत देयकों से स्पष्ट है कि असफल/परित्याग घोषित किए गए नलकूपों के विद्युत संयोजन के विच्छेदन हेतु कार्रवाई न किए जाने से असफल/ परित्याग घोषित नलकूपों के देयक प्राप्त हो रहे हैं जो कि अनावश्यक आर्थिक दायित्व का सृजन कर रहे हैं, जो परिहार्य (Avoidable) था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया कि असफल/ परित्याग नलकूपों से संबन्धित बीजक जो इस खंड में विद्युत विभाग द्वारा प्रेषित किए जा रहे हैं, को प्रमाणित नहीं किया जा रहा है न ही उनके विरुद्ध कोई भुगतान किया जा रहा है एवं तत्संबंधित त्रुटि को दूर करने हेतु विद्युत विभाग से लगातार पत्राचार किया जा रहा है। साथ ही खंड द्वारा यह भी बताया गया कि विद्युत संयोजनों के विच्छेदन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। विद्युत बीजकों को मात्र प्रमाणित न किए जाने से विभाग पर देयता खत्म नहीं होती क्योंकि जब तक

तक विद्युत Connection विभाग/खंड के नाम से है तब तक नलकूप से संबन्धित समस्त देयकों तथा Fixed Charges एवं समय पर भुगतान नहीं किए जाने से Late Payment Surcharge की अनार्थिक देयता का जो सृजन हो रहा है, उसके भुगतान की ज़िम्मेदारी खंड की ही है।

आगे जांच में यह भी पाया गया कि विद्युत वितरण खंड भगवानपुर से प्राप्त विद्युत देयकों में तीन ऐसे नलकूपों के देयक प्राप्त हो रहे हैं जिनकी नलकूप संख्या अंकित नहीं की जा रही है, विवरण निमन्वत है:-

क्रमांक		ग्राम	विकास खंड	विद्युत देयक की धनराशि
1	RG---	CHOTI MASAHI BUGGAWALA	Bhagwanpur	551709.64
2	RG---	DODDHBASI BUGGAWAL	Bhagwanpur	470973.97
3	RG---	BUDHWASHAEED	Bhagwanpur	470973.97
कुल धनराशि				**1493657.58**

इस संबंध में खंड द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया।

अतः खंड द्वारा विद्युत संयोजन के विच्छेदन नहीं किए जाने से खंड पर पड़े अतिरिक्त आर्थिक भार रु. 2.13 करोड़ की परिहार्य देयता का सृजन किए जाने एवं बिना संख्या की प्राप्त तीन नलकूपों के बिल (रु. 1.49 लाख) के संबंध में कोई कार्यवाही न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

Annexure I

असफल घोषित किए गएनलकूपों के प्राप्त विद्युत बिलों का विवरण

SL NO.	TUBEWELL NO.		ADDRESS	ELECTRICITY DISTRIBUTION DIVISION	AMOUNT (in Rs.) UPTO 08/2020
1	RG	3	HARJHOLI JHOJHA	Ramnagar	952507
2	RG	24	SALEMPUR	Ramnagar	566743

3	RG	41	PADLI GURJAR	Ramnagar	122451
4	RG	61	SHAHPUR	Ramnagar	693658
5	RG	101	PANIYALA	Ramnagar	1010958
6	RG	132	JHABRERI KALA	Ramnagar	37836
7	RG	4	LANDHORA	Roorkee Rural	159932.1
8	RG	13	KAMBORA	Roorkee Rural	439422.08
9	RG	36	MANAKPUR ADAMPUR	Roorkee Rural	136207.09
10	RG	110	MUDLANA	Roorkee Rural	692212.18
11	RG	174	BUKKANPUR	Roorkee Rural	688389.85
12	RG	182	GADHARONA	Roorkee Rural	692894.98
13	RG	186	JHABRERA	Roorkee Rural	396992.62
14	RG	157	GUMMAWALA, DHANORI	Roorkee Úrban	294760
15	RG	206	BEDPUR	Roorkee Úrban	33001
16	RG	221	IBRAHIMPUR	Roorkee Úrban	217209
17	RG	222	NAAGAL	Roorkee Urban	217227
18	RG	261	TANDA RANGHANWALA	Roorkee Urban	217226
19	RG	33	SIKANDARPUR BHAISWAL	Bhagwanpur	470973.97
20	RG	43	CHURIYALA	Bhagwanpur	420897.2
21	RG	58	BHALSWAGAAJ	Bhagwanpur	411571.56
22	RG	81	MANDAVAR	Bhagwanpur	383596.15
23	RG	83	CHAPUR	Bhagwanpur	706302.99
24	RG	89	GEE	Bhagwanpur	349555.14
25	RG	116	BANDAKHEDI	Bhagwanpur	(-)87657.38
26	RG	161	DADA PATTI	Bhagwanpur	470973.97
27	RG	189	LAVA	Bhagwanpur	874652.35
28	RG	223	PALUNI	Bhagwanpur	527593.79
29	RG	225	HALLUMAJRA	Bhagwanpur	420892.14
30	RG	227	AKBARPUR KAALSO	Bhagwanpur	548997.08

31	RG	228	BAHBALPUR	Bhagwanpur	672073.72
32	RG	241	KHEDI SHIKOHPUR	Bhagwanpur	939983.35
33	RG	242	KHEDI SHIKOHPUR	Bhagwanpur	1036123.7
34	RG	289	BELKI MASAAHI DWITIYA	Bhagwanpur	580632.66
35	RG	291	SIKRODA	Bhagwanpur	569016.84
36	RG	309	HALLUMAJRA PRATHAM	Bhagwanpur	683691.08
37	RG	318	BANJAAREWALA	Bhagwanpur	843290.11
38	RG	332	CHURIYALA MOHANPURA PRATHAM	Bhagwanpur	597753.14
TOTAL AMOUNT					**18990540.46**

Annexure II

परित्याग हेतु घोषितकिए गए नलकूपों के प्राप्त विद्युत बिलों का विवरण

SL NO.	**TUBEWELL NO.**		**ADDRESS**	**ELECTRICITY DISTRIBUTION DIVISION**	**AMOUNT (in Rs.) UPTO 08/2020**
1	RG38		LANDHAURA	ROORKEE RURAL	623019.53
2	RG66		LANDHAURA	ROORKEE RURAL	30515.72
3	RG217		MANGLORE ROAD	ROORKEE RURAL	679072.01
4	RG102		PURANPUR, GADMEERPUR	ROORKEE URBAN	350371
5	RG97		KHUBBANPUR	BHAGWANPUR	672813.16
TOTAL AMOUNT					**2355791.42**
			GRAND TOTAL	**21346331.88**	

Annexure III

असफलघोषित विद्युत बिलों में दर्ज़ यूनिट्स

SL NO.	TUBEWELL NO.		ADDRESS	ELECTRICITY DISTRIBUTION DIVISION	UNITS IN LAST PAID BILL	UNITS SINCE LAST BILL
1	RG	3	HARJHOLI JHOJHA	Ramnagar	5294	5294
2	RG	24	SALEMPUR	Ramnagar	645	3023
3	RG	41	PADLI GURJAR	Ramnagar	45	3000
4	RG	61	SHAHPUR	Ramnagar	4588	4588
5	RG	101	PANIYALA	Ramnagar	5294	5294
6	RG	132	JHABRERI KALA	Ramnagar	0	0
7	RG	4	LANDHORA	Roorkee Rural	3408	1136
8	RG	13	KAMBORA	Roorkee Rural	9000	3000
9	RG	36	MANAKPUR ADAMPUR	Roorkee Rural	982	982
10	RG	110	MUDLANA	Roorkee Rural	17280	5760
11	RG	174	BUKKANPUR	Roorkee Rural	17280	5760
12	RG	182	GADHARONA	Roorkee Rural	17280	5760
13	RG	186	JHABRERA	Roorkee Rural	2700	2700
14	RG	157	GUMMAWALA, DHANORI	Roorkee Úrban	3750	3958
15	RG	206	BEDPUR	Roorkee Úrban	206	206
16	RG	221	IBRAHIMPUR	Roorkee Úrban	3750	3750
17	RG	222	NAAGAL	Roorkee Urban	3750	3750
18	RG	261	TANDA RANGHANWALA	Roorkee Urban	3750	3750
19	RG	33	SIKANDARPUR BHAISWAL	Bhagwanpur	2700	2700
20	RG	43	CHURIYALA	Bhagwanpur	3000	3000
21	RG	58	BHALSWAGAAJ	Bhagwanpur	2700	2700
22	RG	81	MANDAVAR	Bhagwanpur	2700	2700
23	RG	83	CHAPUR	Bhagwanpur	3450	3450
24	RG	89	GEE	Bhagwanpur	3000	3000
25	RG	116	BANDAKHEDI	Bhagwanpur	2700	2700
26	RG	161	DADA PATTI	Bhagwanpur	2700	2700
27	RG	189	LAVA	Bhagwanpur	4200	4200

28	RG	223	PALUNI	Bhagwanpur	3450	3450
29	RG	225	HALLUMAJRA	Bhagwanpur	2700	2700
30	RG	227	AKBARPUR KAALSO	Bhagwanpur	3450	3450
31	RG	228	BAHBALPUR	Bhagwanpur	3450	3450
32	RG	241	KHEDI SHIKOHPUR	Bhagwanpur	4800	4800
33	RG	242	KHEDI SHIKOHPUR	Bhagwanpur	4800	4800
34	RG	289	BELKI MASAAHI DWITIYA	Bhagwanpur	3900	3900
35	RG	291	SIKRODA	Bhagwanpur	3600	3600
36	RG	309	HALLUMAJRA PRATHAM	Bhagwanpur	11848	7465
37	RG	318	BANJAAREWALA	Bhagwanpur	4500	4500
38	RG	332	CHURIYALA MOHANPURA PRATHAM	Bhagwanpur	3600	3600
TOTAL AMOUNT					176250	134576
			Average units of above bills	**155413**		

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-02:- राजकीय नलकूपों के संचालन हेतु जल उपभोक्ता समूह का गठन न किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व हानि ₹13.65 लाख प्रति वर्ष।

मुख्य अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून, के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 4083/मु॰अ॰या॰/सि॰वि॰/आई-2(आर); दिनांक-27 सितम्बर 2018 के माध्यम से निर्देशित किया गया कि संगठन के अंतर्गत नलकूप चालको (राजस्व कार्मिको) की अत्यधिक कमी के दृस्टिगत नलकूपो का संचालन जल उपभोक्ता समूह (Water User Group) के माध्यम से किया जाए। जल उपभोक्ता समूह द्वारा नलकूप संचालन हेतु एक रजिस्टर (लॉग-बुक) जिसमे नलकूप के संचालन से संबन्धित गतिविधियो को दर्ज किया जाएगा। विभागीय कार्मिक यथा नलकूप चालक/सींच पर्यवेक्षक/जिलेदार द्वारा नलकूपो का संचालन कर रहे जल उपभोक्ता समूह के सींच रजिस्टर से मिलान कर पड़ताल कर सींच आकड़े प्राप्त कर विभागीय अभिलेखो में दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यालय अधिशासी अभियंता**,**नलकूप खंड,(सिंचाई विभाग), हरिद्वार के अंतर्गत राजकीय नलकूपों के संचालन व सींच संबंधी अभिलेखो की लेखा परीक्षा में पाया कि खंड में नलकूप चालक के स्वीकृत 49 पद के सापेक्ष मात्र 33 नलकूप चालक कार्यरत है। खंड द्वारा कुल चालित 253 नलकूप के सापेक्ष मात्र 97 नलकूपो का संचालन एवं सींच इन्द्राज का कार्य किया जा रहा हैअवशेष 156 नलकूपों की सींच नलकूप चालको (राजस्व कार्मिको) की कमी के कारण सींच दर्ज नही की जा रही है। अतः 156 नलकूपो हेतु कार्मिक पदस्थापित न होने/ जल उपभोक्ता समूह का गठन न होने के परिणामस्वरूप सींच दर्ज नहीं किए जाने के कारण नलकूपो से लगभग ₹13,64,688.00 की राजस्व हानि प्रतिवर्ष हो रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि नलकूप चालको के माध्यम से संचालित किए जा रहे 97 नलकूपों से वर्ष 2019-20 में कुल ₹1058721.00 (रबी- ₹4,90,901 + खरीफ - ₹5,67,820.00) की सींच दर्ज की गयी।

राजस्वहानिकाआकलन (वर्ष2019-20)
खंडकेअंतर्गतसींचदर्जनकिएजानेवाले156नलकूपोंकोऔसतनिकास (22500) परप्रतिदिनऔसतन3घंटेचलायाजाएतोराजस्वप्राप्ति =
(निकासx फसलकेदिनx घंटेx दरx नलकूपोंकीसंख्या)/10000 or 5000
खरीफ= (22500 x 180 x 3 x 2.40 x 156)/10000 = ₹4,54,896.00
रवी = (22500 x 180 x 3 x 2.40 x 156)/5000

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कोई भी ग्राम सभा राजकीय नलकूपों के संचालन की ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहती है, अतः समूह के गठन हेतु नहीं किया जा सका है। खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जल उपभोक्ता समूह के गठन की ज़िम्मेदारी कार्यालयाध्यक्ष की है, खंड द्वारा समूह का गठन हेतु वस्तुगत स्थिति को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः मुख्य अभियंता के निर्देशों के अनुक्रम में जल उपभोक्ता समूह का गठन न किए जाने के कारण कारण ₹13,64,688.00 प्रति वर्षकी राजस्व हानि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर03:-वितीय हस्त पुस्तिका (FHB/Vol-VI) के प्रावधानों के अनुरूप स्टॉक लेखो की लेखा बंदी न किया जाना।

वितीय हस्त पुस्तिका **(FHB/Vol-VI)** के प्रस्तर 721 के प्रावधानों के अनुसार समस्त उप-खंड को प्रारम्भिक लेखे प्रत्येक माह 25 तारीख को खंड में प्रस्तुत किया जाना चाहिए एवं प्रस्तर 724**,** 212(**a)** और 220 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक उपखंड को प्रत्येक छमाही (मार्च और सितम्बर) में प्राप्ति और निर्गत की छमाही रिपोर्ट खंड में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। **FHB Vol-VI** के प्रस्तर **223 to 226** प्रावधानित करते है कि भंडार लेखों (**StockAccount)** को प्रत्येक छमाही (मार्च और सितम्बर) में बंद किया जाना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता**,**नलकूप खंड,(सिंचाई विभाग), रुड़की के स्टॉक अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (नवम्बर-2020) में पाया कि:

- खंड द्वारा विगत 5 वर्षो से स्टॉक लेखो की बंदी नहीं की गयी है। भंडार पंजिका 4(S) की अर्धवार्षिक लेखाबन्दी माह 09/2014 तक की गयी है। माह 09/2014 के स्टॉक लेखो के अनुसार भंडार लेखो की स्थिति निम्नवत है।

Sl. No.	Sub-Head	Book Value (₹)	Value at Current Rate (₹)
1.	Small store	1027155.00	16082638.00
2.	Building Material	487190.00	7544837.00
3.	Timber	0	0
4.	Metals	7233471.00	40421285.00
5.	Fuel & Lubricants	0	0
6.	Painting Stores	0	0
7.	House Fittings	0	0
8.	Miscellaneous	175147.00	226530.00
9.	Manufacture	0	0
10.	Land Kilns etc	0	0
Total		**89,22,963.00**	**6,42,75,290.00**
Net Surplus/Profit		**(₹6,42,75,290.00 -₹89,22,963.00)= ₹5,53,52,327.00**	

- शासनादेश संख्या:1413/11-2016/01(123)/2016 दिनांक 05 सितम्बर 2016 के द्वारा इस खण्ड से टूट कर नलकूप खंड**,** हरिद्वार का सृजन हुआ था। नलकूप खंड हरिद्वार का सृजन होने के उपरांत नलकूप खंड**,** रुड़की द्वारा संचालित/हस्तांतरित कार्यों हेतु कुल ₹6.85 करोड़[1] की

1

स्टॉक सामाग्री नलकूप खंड हरिद्वार को निर्गत की गयी थी। खंड द्वारा लेखा बंदी न किए जाने/अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण उक्त हस्तांतरण की जांच नहीं की जा सकी।

➢ वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-VI के प्रस्तर-230. के अनुसार “Divisional Officer are to have stock taken throughout their sub-divisions at least once a year.” लेखा परीक्षा में पाया कि खंड द्वारा द्वारा भंडार एवं यंत्र-संयंत्र का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अवगत कराया गया कि कर्मचारियों की कमी के कारण लेखा बंदी नहीं की जा सकी थी परंतु वर्तमान में स्टॉक और यंत्र संयंत्र लेखो की बंदी की कार्यवाही गतिमान है। भंडार एवं यंत्र-संयंत्र का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी।

अतः खंड द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका (भाग-**VI**) के प्रावधानों के अनुरूप स्टॉक लेखो का रख-रखाव सुनिश्चित न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

क्रमसंख्या	**माह/वर्ष**	**लागत (₹)**
1.	12/2016	35,49,540.00
2.	01/2017	6,34,83,179.00
3.	02/2017	14,74,828.00
कुललागत		**6,85,07,547.00**

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 4:-जीर्णोद्वार/विस्तार कार्य की योजना के आगणन में प्रावधानित कार्य मद हेतु उच्च दर लिए जाने के कारण लागत वृद्धि/परिहार्य व्यय ₹3.91 लाख ।

शासन द्वारा जनपद हरिद्वार में विकास खंड रुड़की और नारसन में सिंचन क्षमता में वृद्धि किए जाने के उदेश्य से 35 राजकीय नलकूपो [रुड़की -23 नलकूप; लागत ₹98.97 लाख/सिंचन वृद्धि 184 हे॰ और नारसन-12 नलकूप; लागत ₹98.68 लाख/सिंचन वृद्धि 96 हे॰)] की जल वितरण प्रणाली के जीर्णोद्वार/ विस्तार हेतु दो योजना की स्वीकृति ₹197.65 लाख की प्रदान की गयी। स्वीकृति के सापेक्ष कार्य सम्पूर्ण धनराशि के व्ययोपरांत वर्ष 2020-21 में पूर्ण किया गया।

कार्यालय अधिशासी अभियंता,नलकूप खंड,(सिंचाई विभाग), रुड़की अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (नवम्बर-2020) में पाया कि:

- खंड द्वारा कार्य मद DismantlingofCement Concrete 1:2:4 atbedofGule हेतु SOR item No 2-15 (Dismantling of Cement Concrete Pavements as per Technical Specification Clause 202) की दरें (₹1864.00/cum) की दरें ली गयी है, जबकि उक्त कार्य मद हेतु SOR item No/2-5-2-B (Dismantling of cement concrete structures by manual means) की दरें (₹414.50 per cum) ली जानी चाहिए।
- खंड द्वाराकार्य मद CC 1:2:4 inlinedGule bed हेतु SOR item No 12-5-2-2 [P.C.C. grade M 20 /Nominal mix 1:2:4 (Hand mixed)] की दरें (₹5297.40/Cum) आगणन में शामिल की गयी है। उक्त दरें Plain/reinforced cement concrete in substructure से संबन्धित है जिसके दर विश्लेषण में Formwork की लागत @₹423.83/cum or₹481/cumincluding CPOH (12.5%) &Labor cess (1%) भी सम्मिलित है। खंड द्वारा CC 1:2:4 का निष्पादन linedGule bed में किया जाना है जिसमे formwork आवश्यकनहीं था।

अतः उपरोक्त दोनों कार्य मद में उच्च दर के आधार पर आगणन गठित किए जाने के कारण ₹3.91 लाखकीलागत वृद्धि हुई /परिहार्य व्यय किया गया।

Items of work	**Scheme (NABARD)**	**Rate adopted in estimate (₹per cum)**	**Rate to be adopted (₹per cum)**	**Excess rate (₹per cum)**	**Quantity**	**Amount (₹)**
Dismantling ofCement Concrete	24/23	1864.00	414.50	1449.50	43.875 cum (22.50 cum/Km X 1.95 km)	63597.80

1:2:4 atbedofGule	24/12	1864.00	414.50	1449.50	106.875 cum (22.50 cum/Km X 4.75 km)	154915.30
CC 1:2:4 inlinedGule bed	24/23	5227.00	4816.00	481.00	137.765 cum (46.70 cum/Km X 2.95 km)	66265.00
	24/12	5227.00	4816.00	481.00	221.825 cum (46.70 cum/Km X 4.75 km)	106697.80
Total						**391475.9**

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा बिन्दु संख्या 01 के सापेक्ष उत्तर दिया गया कि पूर्व कार्य 1:2:4cementconcrete से किया गया था अतः उसके Dismantling हेतु उक्त दर से कार्य कराया गया । बिन्दु संख्या 02 के सापेक्ष उत्तर दिया गया कि Gule में एक रूपता हेतु form-work का प्रयोग किया जाता है। खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि Dismantling of CC हेतु खंड द्वारा ली गयी दरें Highway के Pavement से संबन्धित है और CC 1:2:4 का निष्पादन में form-work के संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य Brick bed के ऊपर किया जा रहा है।

अतः उच्च दर के आधार पर आगणन गठित किए जाने के कारण ₹3.91 लाखकीलागत वृद्धि/परिहार्य व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
96/2010-11	1 एवं 2	--	--
89/2011-12	--	1 एवं 2	--
12/2013-14	--	1	--
46/2015-16	--	1,2,3एवं 4	--
44/2016-17	--	1 एवं 2	--
27/2017-18	--	1	1
43/2018-19	--	1 से 7	--
39/ 2019-20	--	1 से 5	--

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के संबंध में खंड ने उत्तर में बताया कि संबन्धित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या समय समय पर सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी हैं।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--शून्य--

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड, सिंचाई विभाग, रुड़की**तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) माप पुस्तिका संख्या 518L, 542L, 572L एवं 581L

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-**

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01	श्री प्रबोध कुमार वर्मा	अधिशासी अभियंता	11.06.2019 से 13.12.2019
02	श्री शिशिर गुप्ता	अधिशासी अभियंता	13.12.2019 से वर्तमान तक

लघुएवंप्रक्रियात्मकअनियमितताएंजिनकासमाधानलेखापरीक्षास्थलपरनहींहोसकाउन्हेंनमूनालेखापरीक्षाटिप्पणीमेंसम्मिलितकरएकप्रति कार्यालय**अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड, सिंचाई विभाग, रुड़की** कोइसआशयसेप्रेषितकरदीजायेगीकिअनुपालनआख्यापत्रप्राप्तिकेएकमाहकेअन्दरसीधेउप-महालेखाकार/ए०एम०जी०-I, कार्यालयप्रधानमहालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकारभवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195कोप्रेषितकरदीजाए।

वरिष्ठलेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी. - I